


राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2019/98

दिनांक:- 07-01-2020

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक F4(13)/Finance/Rules/47/13/3579 दिनांक 07.06.2013 द्वारा निगम में लागू राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चिकित्सा परिचर्या विनियम, 2011 को अधिलंघित करते हुए निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 70/2019 दिनांक 10.12.2019 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.6(1)/वित्त/नियम/2013 दिनांक 16.09.2013 द्वारा लागू राज्य के सामान्य चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में लागू किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भविष्य में समय-समय पर अपने सामान्य चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 में किये जाने वाले संशोधनों को स्वतः ही निगम में भी लागू माना जायेगा।



(आलोक)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2019/98

दिनांक:- 7-1-20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार